Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to permit farmers in backward and tribal areas to register their complaints regarding loss of their crops through conventional methods- Laid – Laid

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): देश के जिन किसानों की फसलें वर्षा, ओलावृष्टि,सूखे एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती हैं, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करानी पड़ती हैं। लेकिन, देश के पिछड़े, दुर्गम और आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं अशिक्षित किसान स्मार्ट मोबाईल, तकनीकी, नेट और अन्य असुविधाओं के चलते ऑनलाईन शिकायत दर्ज नहीं करवा पाते हैं, जिस कारण उन्हें बीमा राशि नहीं मिल पाती है तथा दूसरे प्रभावित किसानों के नाम ऑनलाइन अपडेट न होने की वजह से भी केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें मिलने वाली सहायता राशि नहीं मिल पाती है । इसका एक प्रमुख उदाहरण मेरा आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर है, जहां के गरीब आदिवासी किसान केन्द्रीय सुविधा से वंचित हो रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के विशेषतः पिछड़े एवं जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित किसानों को ऑनलाईन के स्थान पर पूर्व की भांति स्थानीय पटवारी, तहसीलदार के माध्यम से सर्वे करवाकर केन्द्रीय सुविधा प्रदत्त किए जाने तथा गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र के सभी प्रभावित गरीब किसान, जो केन्द्रीय सहायता राशि से वंचित हो रहे हैं, उन सभी को केन्द्रीय सहायता प्रदत्त किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए ।